

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना (म.प्र.)

क्रमांक/3-6/खनिज/2020/178

गुना, दिनांक 21/8/2020.....

प्रति,

श्री ए.ए. मिश्रा
सदस्य सचिव
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भोपाल (म.प्र.)

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैच के प्रकरण क्र. 104/2017 द्वारा दिनांक 17.07.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में।
संदर्भ :- म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल का पत्र क्र. 578 भोपाल, दिनांक 23.07.2020

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के अनुपालन में प्रेषित जानकारी निम्नानुसार है :-

1. आवेदक के संबंध में तहसीलदार गुना द्वारा दिये गये प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि वह बी.पी.एल. श्रेणी का है। (तहसीलदार का प्रतिवेदन एवं अन्य दस्तावेज संलग्न)
2. उपरोक्त प्रकरण से संबंधित वर्तमान वस्तुस्थिति के संबंध में खनि निरीक्षक गुना का प्रतिवेदन संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(कुमार पुरुषोत्तम)
कलेक्टर
जिला-गुना (म.प्र.)
जिला गुना (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/3-6/खनिज/2020/179

गुना, दिनांक 21/8/2020.....

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(कुमार पुरुषोत्तम)
कलेक्टर
जिला-गुना (म.प्र.)
जिला गुना (म.प्र.)



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016
Fax No : +91-755-2463742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

कर्मांक 575 विधि/NGT(CZ)/प्रनिबो/20
प्रति

भोपाल, दिनांक 23 JUL 2020

कलेक्टर,
कलेक्टर कार्यालय,
गुना।

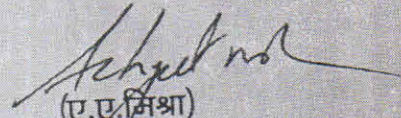
विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण कर्मांक 104/2017 द्वारा दिनांक 17.07.2020 को पारित आदेश के अनुपालन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल द्वारा प्रकरण कर्मांक 104/2017 (राजेन्द्र कोरी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 17.07.2020 का अवलोकन हो, आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार है :-

3. In light of the above facts, we direct that Collector Guna and State Pollution Control Board to submit a brief report on the following facts:-
 1. Status of the BPL and status of the applicant as to whether he can file fees for filing the application.
 2. Factual and action taken report with regard to the contents written in the application.
4. Applicant is directed to provide copy of the application and relevant records to the State Pollution Control Board to expedite the submission of report and also send it on available e-mail of Collector and State Pollution Control Board.
5. The required report be submitted within four weeks.
6. The report in the matter be filed by the Committee by e-mail at judicial-ngt@gov.in.

माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। प्रकरण की आगामी सुनवाई दिनांक 16.09.2020 को नियत है।

संलग्न :- एनजीटी आदेश।


(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

- 1 क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपको निर्देशित किया जाता है कि कलेक्टर, गुना से समन्वय कर चार सप्ताह के पूर्व एक्शन टेकन रिपोर्ट ई-मेल judicial-ngt@gov.in द्वारा माननीय एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत कर मुख्यालय को भी उपलब्ध करावे।

Item No. 05 (Through VC-Bhopal)

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 104/2017 (CZ)
(M. A. No. 464/2017)

Rajendra Kori & Anr.

Applicant(s)

Versus

Yashwant Agarwal & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 17.07.2020

CORAM:

**HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. SIDDHANTA DAS, EXPERT MEMBER**

For Applicant(s)

Mr. Dharamveer Sharma, Advocate

For Respondent(s)

Ms. Nikita Delouri, Advocate

Mr. Yadvendra Yadav, Advocate

ORDER

1. Learned Counsel for both the parties are present.
2. It is argued that misc. application for exemption of fees for filing the application is pending. Since the matter is pending from 2017. Thus, we deem it just and proper to expedite the matter.
3. In light of the above facts, we direct that Collector Guna and State Pollution Control Board to submit a brief report on the following facts:-
 1. Status of the BPL and status of the applicant as to whether he can file fees for filing the application.
 2. Factual and action taken report with regard to the contents written in the application.

4. Applicant is directed to provide copy of the application and relevant records to the State Pollution Control Board to expedite the submission of report and also send it on available e-mail of Collector and State Pollution Control Board.
5. The required report be submitted within four weeks.
6. The report in the matter be filed by the Committee by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
7. List it on 16.09.2020.

Justice Sheo Kumar Singh, JM

Siddhanta Das, EM

JG

Original Application No. 104/2017(CZ)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना (म.प्र.)

क्रमांक/3-6/खनिज/2020

175

गुना, दिनांक 20/8/2020

प्रति,

तहसीलदार
तहसील-गुना
जिला-गुना (म.प्र.)

विषय :-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच के प्रकरण क्र. 104/2017 द्वारा दिनांक 17.07.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में।

संदर्भ :-

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल का पत्र क्र. 575 भोपाल, दिनांक 23.07.2020

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच के प्रकरण क्र. 104/2017 में जानकारी चाही गई है कि आवेदक राजेन्द्र कोरी, बी.पी.एल. कार्डधारी है अथवा नहीं यदि है तो उक्त से संबंधित बी.पी.एल. कार्ड की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी तत्काल भिजवाने का कष्ट करें।

आवेक जांचक
तहसील कार्यालय, गुना
20/8

डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी
खनिज शाखा
जिला-गुना (म.प्र.)
20/8/2020

तहसीलदार तहसील गुना नगर जिला गुना (म.प्र.)

क/क्यू/रीडर/2020-21

1719

गुना, दिनांक-21/08/2020

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय, (स्वानुज्ञ शाखा)
जिला गुना (म0प्र0)

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच के प्रकरण क्र0 104/2017 द्वारा
दिनांक 17/07/2020 को पारित आदेश के अनुपालन में।

संदर्भ :- श्रीमान का कार्या0 पत्र क्र0/3-6/खनिज/2020/175 गुना, दिनांक 20/08/20
एवं म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल का पत्र क्र0 575 भोपाल, दिनांक
23/07/2020

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के पालन में निवेदन है कि श्रीमान द्वारा
माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच के प्रकरण क्र0 104/2017 में जानकारी चाही
गई थी, उक्त संबंध में पटवारी ग्राम पिपरौदाखुर्द से जांच करायी गयी, जिसमें लेख किया है
ग्राम पंचायत पिपरौदाखुर्द के निवासी राजेन्द्र पुत्र मोकमसिंह कोरी का ग्राम पंचायत
पिपरौदाखुर्द के बी0पी0एल0 राशन कार्ड पंजी में खाता क्र0 67 व सर्वे नं0 80 में दर्ज है।

अतः श्रीमान द्वारा चाही गयी जानकारी पत्र के संलग्न मय पटवारी ग्राम की रिपोर्ट
एवं आवेदन के सादर प्रेषित है।

संलग्न - पटवारी रिपोर्ट एवं आवेदन

(निर्मल सिंह राठौर)

तहसीलदार
तहसील गुना नगर जिला (म.प्र.)

ग्राम पंचायत पिपरीहा रूड जनपद पंचायत (मन्त्र)

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील गंगा (मन्त्र)

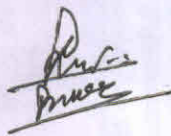
विषय :- ग्राम पिपरीहा रूड के निवासी राजेंद्र कोरी के
वी. पी. एल. राशन कार्ड के सम्बन्ध में
महो.

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत
पिपरीहा रूड के निवासी राजेंद्र 51. मोकम सिंह कोरी
का ग्राम पंचायत पिपरीहा रूड के BPL राशन कार्ड
पंजी. में खाता क्र. 67 व सी. न. 80
में दर्ज है।

श्रीमान तहसीलदार महो. की ओर सूचना
आदि प्रेषित है।

सलोकन :-

① राशन कार्ड की छाया प्रति


प्रमुख


सचिव

ग्राम पंचायत पिपरीहा रूड
जनपद पंचायत गंगा

21/8/20

नगरीय क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र
(खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग)

59104

परिवार पत्र

(म.प्र. फूड्स एंड ड्रिग्स डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल आर्डर, 1960 के अन्तर्गत जारी किया गया)

वार्ड क्रमांक

13

खात क्रमांक

067

- परिवार के मुखिया का पूरा नाम राजेंद्र चौरी
पिता/पति का नाम मोहन सिंह चौरी
- वार्ड क्रमांक 13 माहल्ला पठार घर क्रमांक 399
- वर्तमान पता पिपरीदा खुर्द ग्राम पिपरीदा खुर्द
विकासखण्ड गुना तहसील गुना जिला गुना
- गरीबी-रेखा सर्वे सूची 2006 (बीपीएल सर्वेक्षण 2002-03) में क्रमांक 80
वार्ड क्रमांक 13
- व्यवसाय मजदूरी मासिक आय
- कार्यस्थल का पता गुना पिपरीदा खुर्द
- गैस कनेक्शनधारी का नाम X उप.क्र. X
कम्पनी X एजेंसी X
- परिवार के सदस्यों की कुल संख्या 09 पुरुष 03 महिला 02
- शा.उ.मू. दुकान क्रमांक
- दुकान का नाम व पता सवि लहं उज्जैन मेन्ट्री गुना
- हस्ताक्षर मुखिया
- हस्ताक्षर दुकानदार

राशनकार्ड तैयार करने वाले का
नाम एवं हस्ताक्षर

जारी करने वाले अधिकृत अधिकारी
के हस्ताक्षर व सील

साधित

ग्राम पंचायत पिपरीदा खुर्द
जनपद पंचायत गुना

मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक 104 / 2017 सेन्ट्रल जोन (एम.
ए. क्र. 464 / 2017) श्री राजेन्द्र कोरी Vs श्री यशवर्धन अग्रवाल

प्रति,

मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण
सेन्ट्रल जोन, नई दिल्ली

1. मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्र. 104 / 2017 द्वारा दिनांक 17.07.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में आवेदक के बी.पी.एल श्रेणी संबंधी जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) गुना के पत्र क्र. 178 दिनांक 21.08.2020 द्वारा प्राप्त हुई है, संलग्नक-1
2. मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त प्रकरण के संबंध में स्थानीय प्रशासन द्वारा आर्थिक सहायता राशि संबंधितों के वारिसों को कुल सात लाख रु मुआवजा दिया गया है। संलग्नक-2
3. प्रकरण की अद्यतन स्थिति के संबंध में दिनांक 20.08.2020 को म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर जिला गुना के कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं खनि निरीक्षक (खनिज शाखा) जिला गुना द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम पिपरौदाखुर्द तहसील व जिला गुना के सर्वे क 2/1/मिन रकबा 2.000 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित पत्थर खदान का स्थल निरीक्षण किया गया है। यह पत्थर खदान श्री यशवंत अग्रवाल गुना को कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा द्वारा अवधि दिनांक 30.07.2007 से 29.07.2017 तक आवंटित की गई थी। मौका पंचनामा की प्रति संलग्नक-3 अनुसार है।


क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
विजयपुर-गुना

खनि अधिकारी
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)
गुना

कलेक्टर
जिला गुना

न. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक 104/2017 सेन्ट्रल जोन (एम.
ए. क्र. 464/2017) श्री राजेन्द्र कोरी Vs श्री यशवर्धन अग्रवाल

प्रति,

मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण
सेन्ट्रल जोन, नई दिल्ली

1. मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्र. 104/2017 द्वारा दिनांक 17.07.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में आवेदक के बी.पी.एल श्रेणी संबंधी जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) गुना के पत्र क्र. 178 दिनांक 21.08.2020 द्वारा प्राप्त हुई है, संलग्नक-1
2. मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त प्रकरण के संबंध में स्थानीय प्रशासन द्वारा आर्थिक सहायता राशि संबंधितों के वारिसों को कुल सात लाख रु मुआवजा दिया गया है। संलग्नक-2
3. प्रकरण की अद्यतन स्थिति के संबंध में दिनांक 20.08.2020 को म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर जिला गुना के कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं खनि निरीक्षक (खनिज शाखा) जिला गुना द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम पिपरौदाखुर्द तहसील व जिला गुना के सर्वे क्र 2/1/मिन रकबा 2.000 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित पत्थर खदान का स्थल निरीक्षण किया गया है। यह पत्थर खदान श्री यशवंत अग्रवाल गुना को कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा द्वारा अवधि दिनांक 30.07.2007 से 29.07.2017 तक आवंटित की गई थी। मौका पंचनामा की प्रति संलग्न-3 अनुसार है।

BML
14.09.2020
क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
विजयपुर-गुना

प्रभारी खनि अधिकारी
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)
गुना

कलेक्टर
जिला गुना

कार्यालय कलेक्टर (सिविल सूट), जिला गुना

क्रमांक/62/सि0सूट/19-6/2020/

गुना दिनांक 26-09-2020

प्रति,

श्री मुमताज खान,
खनिज अधिकारी गुना ।

विषय :- WP क्रमांक 14167/2020 रूपेन्द्र सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन में जबाव
दावा प्रस्तुत कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ - शासकीय महाधिवक्ता, मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर का पत्र
क्रमांक दिनांक 25/09/2020 ।

.....

संदर्भित पत्र के क्रम में विषयांकित प्रकरण में कार्यालयीन आदेश
क्रमांक/सि.सूट/19-6/62/2020/226 दिनांक 25/08/2020 से आपको शासन पक्ष
की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कराये जाने एवं समय समय पर प्रतिरक्षण की कार्यवाही
किये जाने हेतु प्रकरण का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है । शासकीय
महाधिवक्ता मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की ओर से बार दूरभाष पर
अवगत कराया जा रहा है कि प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कराये जाने हेतु प्रकरण में
नियुक्त प्रभारी अधिकारी को शीघ्र प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों सहित नियत दिनांक
के पूर्व जवाब दावा प्रस्तुत कराये जाने हेतु उपस्थित हों ।

अतः आपकी ओर पत्र भेकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित
समस्त सुसंगित दस्तावेजों सहित शासकीय महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय
ग्वालियर से शीघ्र संपर्क स्थापित कर जवाब दावा तैयार कराया जाकर मान0 न्यायालय
में प्रस्तुत कराया जाकर जवाब दावा की एक प्रति भिजवाया जाना सुनिश्चित करें । पत्र
को सर्वोच्च प्राथमिका दी जावे ।

H
26/9/2020

डिप्टी कलेक्टर ,

वास्ते कलेक्टर जिला गुना

गुना दिनांक 26-09-2020

पुनः क्रमांक/ 62/सि0सूट/19-6/2020/
प्रतिलिपि .

श्री अंकुर मोदी अतिरिक्त शासकीय महाधिवक्ता, मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ
ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।

H
26/9/2020

डिप्टी कलेक्टर ,

वास्ते कलेक्टर जिला गुना

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना (म.प्र.)

मांक/3-6/खनिज/2020 1260

गुना, दिनांक 16/9/2020

प्रति,

तहसीलदार (ग्रामीण)
तहसील-गुना
जिला-गुना (म.प्र.)

विषय :- मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्र. 104/2017 सेन्ट्रल जोन (एम.ए. क्र. 464/2017) श्री राजेन्द्र कोरी Vs श्री यशवंत अग्रवाल।
संदर्भ :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच के प्रकरण क्र. 104/2017 द्वारा दिनांक 17.07.2020 को पारित आदेश के पालन में।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित के संबंध में लेख है कि श्री यशवंत अग्रवाल के पक्ष में ग्राम पिपरौदाखुर्द तहसील गुना सर्वे नं. 2/1/मिन-1 रकबा 2.00 हे. स्वीकृत रहे पत्थर क्रेशर उत्खनिपट्टा क्षेत्र में, वर्ष 2016 में उत्खनित गड्डे में डूबने से 07 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। उक्त प्रकरण में संबंधितों के वारिसान को आर्थिक सहायता राशि दी जाना प्रस्तावित की गई थी, जिसके संबंध में उक्त आदेश क्र. 264, 265, 266, 267, 268, 269 एवं 270 दिनांक 27.09.2016 आपके कार्यालय से आर्थिक सहायता स्वीकृति बावत् जारी किये गये थे।

अतः उपरोक्त आर्थिक सहायता स्वीकृति आदेशों की छायाप्रति तथा जारी की गई आर्थिक सहायता राशि के संबंध में जानकारी तत्काल कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।



डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी

खनिज शाखा एवं
प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा)
जिला-गुना (म.प्र.)

प्रार
16-9-20
रीडर दू तहसीलदार
तहसील - गुना

010

कार्यालय तहसीलदार परगना जिला गुना म.प्र.

क्रमांक / / ना0ना0 / 2020

दिनांक 06 / 10 / 2020

प्रति

1376

श्रीमान कलेक्टर महोदय
खनिज शाखा
जिला गुना म.प्र.

विषय— मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्र. 104/2017 सेन्ट्रल जोन (एम.ए. क्र. 464/2017) श्री राजेन्द्र कोरी विरुद्ध श्री यशवंत अग्रवाल।

संदर्भ— श्रीमान का पत्र क्रमांक /3-6/ खनिज /2020/260 दिनांक 16.09.2020

रखीज
H
7/10

विषयातर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में ग्राम पिपरोदाखूर्द तहसील गुना सर्वे नंबर 2/1 /मिन-1 रकबा 2.00 हे. स्वीकृत रहे पत्थर केशर उत्खनिपट्टा क्षेत्र में वर्ष 2016 में उत्खनित गड्डे में डूबने से 07 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। जिसमें संबंधितों के वारिसान को एक-एक लाख रुपये की राहत राशि का वितरण बिल क्रमांक 154 दिनांक 27.09.2016 से किया गया है। उक्त बिल एवं स्वीकृति आदेशों की छायाप्रति पत्र के संलग्न कर श्रीमान की ओर प्रेषित है।

संलग्न 1 —बिल क्रमांक 154 दिनांक 27.09.2016

2— ई पेमेंट बाउचर

3—स्वीकृति आदेश की छायाप्रतियां

तहसीलदार
परगना गुना

GRANT IN AID BILL

See Subsidiary rule 42

Vr. No.

List of Payment

ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਮੀ

For 20 - 20

Head of Account grant

Received the sum of Rs. 7,00,000/-

Being the grant in aid for the period

Sanctioned by

in his letter No.

copy enclsd.

Certified tha condition of grant in aid have been fulfilled.

Date

Signature

Designation

Counter signed for Rs.

Signature

Designation

Please credit in the account of Shri
Whose specimen.

Signature is hereby attested.

FOR THE USE DT. TREASURY

Pay Rs.

Examined

Treasury Accountant

Treasury Officer

FOR USE ACCOUNTANT GENERAL OFFICER

Addmitted

Object Rs.

Reasons of objection

Superintendent

Gazetted Officer

700,000/-
DIP to
700,000/-
700,000/-

Receipt No and Date

Voucher No and Date

13395 27/09/2016

2245/26 28/09/2016

E-Cheque No and Micr No

Pay Amount

Bank E Cheque No

0130142946

130100111

1,00,000

CT82726648

S_No

Employee Code and Name

Bank A/C No and IFSC Code

Bank E Cheq Ref.No.

Amount

UTR

1

Z13002214 MQKAMSINGH

63036917370

SBIN0030391

CT8272664800062

1,00,000

Total Amount

1,00,000

E-Cheque No and Micr No

Pay Amount

Bank E Cheque No

0130142947

130100111

6,00,000

CN58874078

S_No

Employee Code and Name

Bank A/C No and IFSC Code

Bank E Cheq Ref.No.

Amount

UTR

1

V13007635 BHARATI PANTH

269

06102041015204

ORBC0100610

CN5887407801076

1,00,000

SBIN216272669038

2

Y13070802 RAJKUMARI ASHOK

3228107604

CBIN0282156

CN5887407801077

2,00,000

SBIN216272669104

3

Y13086339 DILIP KUSHWAH CARE OF
JAGNNAT KUSHWAH

80002929841

SBIN0RRMBGB

CN5887407801078

1,00,000

SBIN216272669107

4

Z13002215 MANSINGH

80003229907

SBIN0RRMBGB

CN5887407801079

1,00,000

SBIN216272669112

5

Z13002216 PARVAT SINGH

80004343119

SBIN0RRMBGB

CN5887407801080

1,00,000

SBIN216272669166

Total Amount

6,00,000

Receipt No and Date

Voucher No and Date

13994 30/09/2016

2071/380 30/09/2016

E-Cheque No and Micr No

Pay Amount

Bank E Cheque No

0130143288

130100111

9,426

S_No

Employee Code and Name

Bank A/C No and IFSC Code

Bank E Cheq Ref.No.

Amount

UTR

1

V13018815 SHASHI DEVI SHARMA

32395898040

SBIN0030081

9,426

Total Amount

9,426

Grand Total

10,02,526

उपयोगक&#181;: ALTAF_UDDIN_QUESHI

दि#181;थि और समय 03/10/2016

/ 6

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, परगना-गुना, म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 264 बी 121 (3)/2015-2016 48/15

गुना, दिनांक 27-9-16

// आदेश //

तहसीलदार गुना के प्रकरण क्रमांक 675 बी 121/2015-2016 अनुसार मृतक गोलू पुत्र मस्तान कोरी निवासी ग्राम पिपरोदाखुर्द तहसील गुना की दिनांक 25/09/2016 को पिपरोदाखुर्द में खदान में भरे पानी में डूब जाने से मृत्यु हो जाने पर तहसीलदार गुना के प्रतिवेदन दिनांक 26.9.16 के आधार पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 - 4 की कंडिका (पांच) (2-क) के तहत मांग संख्या 58 शीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत मृतक के वैध वारिसान पिता मानसिंह उर्फ मस्तान पुत्र गंगाराम कोरी निवासी पिपरोदाखुर्द तहसील गुना को रुपये 1,00,000/- (एक लाख) मात्र की आर्थिक सहायता स्वीकृति दी जाती है।

Deneh
अनुविभागीय अधिकारी,
परगना - गुना

पृ.प्रकरण क्रमांक 264 बी 121 (3)/2015-2016

गुना, दिनांक 27-9-16

प्रतिलिपि :-

- 1- कलेक्टर महोदय, जिला गुना की ओर तहसीलदार, गुना को आवंटन प्रदान करने का कष्ट करें।
- 2- जिला कोषालय अधिकारी, जिला गुना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- तहसीलदार, गुना (नायब नाजिर) की ओर भेजकर लेख किया जाता है, कि स्वीकृत राशि का आवंटन प्राप्त होने पर पीडित परिवार के वारिसान को तत्काल राहत राशि का भुगतान कराया जाकर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 4- तहसीलदार, म्याना की ओर उनके मूल प्रकरण 675 बी 121 (3)/2015-2016 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- संबंधित वारिसान पिता मानसिंह उर्फ मस्तानसिंह निवासी ग्राम पिपरोदाखुर्द की ओर सूचनार्थ।

Deneh
अनुविभागीय अधिकारी,
परगना - गुना

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, परगना-गुना, म0प्र0

प्रकरण क्रमांक ²⁷⁰ बी 121 (3)/2015-2016 4251

गुना, दिनांक 27-9-16

// आदेश //

तहसीलदार गुना के प्रकरण क्रमांक 631 बी 121/2015-2016 अनुसार मृतक आनंद पुत्र पर्वत सिंह कुशवाह निवासी ग्राम पिपरोदाखुर्द तहसील गुना की दिनांक 25/09/2016 को पिपरोदाखुर्द में खदान में भरे पानी में डूब जाने से मृत्यु हो जाने पर तहसीलदार गुना के प्रतिवेदन दिनांक 26.9.16 के आधार पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 - 4 की कंडिका (पांच) (2-क) के तहत मांग संख्या 58 शीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत मृतक के वैध वारिसान पिता पर्वत सिंह पुत्र ईश्वरलाल कुशवाह निवासी पिपरोदाखुर्द तहसील गुना को रुपये 1,00,000/- (एक लाख) मात्र की आर्थिक सहायता स्वीकृति दी जाती है।

✓
अनुविभागीय अधिकारी,
परगना - गुना

पृ.प्रकरण क्रमांक ²⁷⁰ बी 121 (3)/2015-2016

गुना, दिनांक 27-9-16

प्रतिलिपि :-

- 1- कलेक्टर महोदय, जिला गुना की ओर तहसीलदार, गुना को आवंटन प्रदान करने का कष्ट करें।
- 2- जिला कोषालय अधिकारी, जिला गुना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- तहसीलदार, गुना (नायब नाजिर) की ओर भेजकर लेख किया जाता है, कि स्वीकृत राशि का आवंटन प्राप्त होने पर पीडित परिवार के वारिसान को तत्काल राहत राशि का भुगतान कराया जाकर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 4- तहसीलदार, म्याना की ओर उनके मूल प्रकरण 631 बी 121 (3)/2015-2016 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- संबंधित वारिसान पिता पर्वत सिंह पुत्र ईश्वरलाल कुशवाह निवासी पिपरोदाखुर्द तहसील गुना की ओर सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी,
परगना - गुना

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, परगना-गुना, म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 269 बी 121 (3)/2015-2016 4850

गुना, दिनांक 27-9-16

// आदेश //

तहसीलदार गुना के प्रकरण क्रमांक 630 बी 121/2015-2016 अनुसार मृतक हेमन्त पुत्र रणवीरसिंह कोरी निवासी ग्राम पिपरोदाखुर्द तहसील गुना की दिनांक 25/09/2016 को पिपरोदाखुर्द में खदान में भरे पानी में डूब जाने से मृत्यु हो जाने पर तहसीलदार गुना के प्रतिवेदन दिनांक 26.9.16 के आधार पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 - 4 की कड़िका (पांच) (2-क) के तहत मांग संख्या 58 शीष 2245 प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत मृतक के वैध वारिसान पिता रणवीर सिंह पुत्र मोकम सिंह कोरी निवासी पिपरोदाखुर्द तहसील गुना को रुपये 1,00,000/- (एक लाख) मात्र की आर्थिक सहायता स्वीकृति दी जाती है।

Dinesh
अनुविभागीय अधिकारी,
परगना - गुना

पृ.प्रकरण क्रमांक 269 बी 121 (3)/2015-2016

गुना, दिनांक 27-9-16

प्रतिलिपि :-

- 1- कलेक्टर महोदय, जिला गुना की ओर तहसीलदार, गुना को आवंटन प्रदान करने का कष्ट करें।
- 2- जिला कोषालय अधिकारी, जिला गुना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- तहसीलदार, गुना (नायब नाजिर) की ओर भेजकर लेख किया जाता है, कि स्वीकृत राशि का आवंटन प्राप्त होने पर पीडित परिवार के वारिसान को तत्काल राहत राशि का भुगतान कराया जाकर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 4- तहसीलदार, म्याना की ओर उनके मूल प्रकरण 630 बी 121 (3)/2015-2016 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- संबंधित वारिसान पिता रणवीर सिंह पुत्र मोकमसिंह कोरी निवासी पिपरोदाखुर्द तहसील गुना की ओर सूचनार्थ।

Dinesh
अनुविभागीय अधिकारी,
परगना - गुना

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, परगना-गुना, म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 268 बी 121 (3)/2015-2016 4849

गुना, दिनांक 20-9-16

// आदेश //

तहसीलदार गुना के प्रकरण क्रमांक 629 बी 121/2015-2016 अनुसार मृतक विकास पुत्र राजेन्द्रसिंह कोरी निवासी ग्राम पिपरोदाखुर्द तहसील गुना की दिनांक 25/09/2016 को पिपरोदाखुर्द में खदान में भरे पानी में डूब जाने से मृत्यु हो जाने पर तहसीलदार गुना के प्रतिवेदन दिनांक 26.9.16 के आधार पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 - 4 की कंडिका (पांच) (2-क) के तहत मांग संख्या 58 शीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत मृतक के वैध वारिसान पिता राजेन्द्रसिंह पुत्र मोकमसिंह कोरी निवासी पिपरोदाखुर्द तहसील गुना को रुपये 1,00,000/- (एक लाख) मात्र की आर्थिक सहायता स्वीकृति दी जाती है।

Dinesh
अनुविभागीय अधिकारी,
परगना - गुना

पृ.प्रकरण क्रमांक 268 बी 121 (3)/2015-2016
प्रतिलिपि :-

गुना, दिनांक 20-9-16

- 1- कलेक्टर महोदय, जिला गुना की ओर तहसीलदार, गुना को आवंटन प्रदान करने का कष्ट करें।
- 2- जिला कोषालय अधिकारी, जिला गुना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- तहसीलदार, गुना (नायब नाजिर) की ओर भेजकर लेख किया जाता है, कि स्वीकृत राशि का आवंटन प्राप्त होने पर पीडित परिवार के वारिसान को तत्काल राहत राशि का भुगतान कराया जाकर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 4- तहसीलदार, म्याना की ओर उनके मूल प्रकरण 629 बी 121 (3)/2015-2016 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- संबंधित वारिसान पिता राजेन्द्रसिंह पुत्र मोकमसिंह कोरी निवासी पिपरोदाखुर्द तहसील गुना की ओर सूचनार्थ।

Dinesh
अनुविभागीय अधिकारी,
परगना - गुना

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, परगना-गुना, म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 267 बी 121 (3)/2015-2016 4848

गुना, दिनांक 22-9-16

// आदेश //

तहसीलदार गुना के प्रकरण क्रमांक 628 बी 121/2015-2016 अनुसार मृतक दिलीप पुत्र जगन्नाथ कुशवाह निवासी ग्राम पिपरोदाखुर्द तहसील गुना की दिनांक 25/09/2016 को पिपरोदाखुर्द में खदान में भरे पानी में डूब जाने से मृत्यु हो जाने पर तहसीलदार गुना के प्रतिवेदन दिनांक 26.9.16 के आधार पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 - 4 की कंडिका (पांच) (2-क) के तहत मांग संख्या 58 शीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत मृतक के वैध वारिसान पिता जगन्नाथ पुत्र कन्हैयालाल कुशवाह निवासी पिपरोदाखुर्द तहसील गुना को रुपये 1,00,000 /- (एक लाख) मात्र की आर्थिक सहायता स्वीकृति दी जाती है।

Dmeh
अनुविभागीय अधिकारी,
परगना - गुना

प्रकरण क्रमांक 267 बी 121 (3)/2015-2016

गुना, दिनांक 22-9-16

प्रतिलिपि :-

- 1- कलेक्टर महोदय, जिला गुना की ओर तहसीलदार, गुना को आवंटन प्रदान करने का कष्ट करें।
- 2- जिला कोषालय अधिकारी, जिला गुना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- तहसीलदार, गुना (नायब नाजिर) की ओर भेजकर लेख किया जाता है, कि स्वीकृत राशि का आवंटन प्राप्त होने पर पीडित परिवार के वारिसान को तत्काल राहत राशि का भुगतान कराया जाकर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 4- तहसीलदार, म्याना की ओर उनके मूल प्रकरण 628 बी 121 (3)/2015-2016 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- संबंधित वारिसान पिता जगन्नाथ पुत्र कन्हैयालाल कुशवाह निवासी पिपरोदाखुर्द तहसील गुना की ओर सूचनार्थ।

Pinesh
अनुविभागीय अधिकारी,
परगना - गुना

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, परगना-गुना, म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 266 बी 121 (3)/2015-2016 4847

गुना, दिनांक 27-9-16

// आदेश //

तहसीलदार गुना के प्रकरण क्रमांक 627 बी 121/2015-2016 अनुसार मृतक टिल्लू पुत्र अशोक कुशवाह निवासी ग्राम पिपरोदाखुर्द तहसील गुना की दिनांक 25/09/2016 को पिपरोदाखुर्द में खदान में भरे पानी में डूब जाने से मृत्यु हो जाने पर तहसीलदार गुना के प्रतिवेदन दिनांक 26.9.16 के आधार पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 - 4 की कंडिका (पांच) (2-क) के तहत मांग संख्या 58 शीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत मृतक के वैध वारिसान मां राजकुमारी पत्नी बेवा स्व. अशोक कुशवाह निवासी पिपरोदाखुर्द तहसील गुना को रुपये 1,00,000/- (एक लाख) मात्र की आर्थिक सहायता स्वीकृति दी जाती है।

✓
Dinesh
अनुविभागीय अधिकारी,
परगना - गुना

प्रकरण क्रमांक 266 बी 121 (3)/2015-2016

गुना, दिनांक 27-9-16

प्रतिलिपि :-

- 1- कलेक्टर महोदय, जिला गुना की ओर तहसीलदार, गुना को आवंटन प्रदान करने का कष्ट करें।
- 2- जिला कोषालय अधिकारी, जिला गुना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- तहसीलदार, गुना (नायब नाजिर) की ओर भेजकर लेख किया जाता है, कि स्वीकृत राशि का आवंटन प्राप्त होने पर पीडित परिवार के वारिसान को तत्काल राहत राशि का भुगतान कराया जाकर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 4- तहसीलदार, म्याना की ओर उनके मूल प्रकरण 627 बी 121 (3)/2015-2016 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- संबंधित वारिसान मां. राजकुमारी बेवा स्व. अशोक कुशवाह निवासी ग्राम पिपरोदाखुर्द की ओर सूचनार्थ।

Dinesh
अनुविभागीय अधिकारी,
परगना - गुना

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, परगना-गुना, म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 265 बी 121 (3)/2015-2016 4846

गुना, दिनांक 27-9-16

// आदेश //

तहसीलदार गुना के प्रकरण क्रमांक 626 बी 121/2015-2016 अनुसार मृतक करण पुत्र अशोक कुशवाह निवासी ग्राम पिपरोदाखुर्द तहसील गुना की दिनांक 25/09/2016 को पिपरोदाखुर्द में खदान में भरे पानी में डूब जाने से मृत्यु हो जाने पर तहसीलदार गुना के प्रतिवेदन दिनांक 26.9.16 के आधार पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 - 4 की कंडिका (पांच) (2-क) के तहत मांग संख्या 58 शीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत मृतक के वैध वारिसान मां राजकुमारी पत्नी बेवा स्व. अशोक कुशवाह निवासी पिपरोदाखुर्द तहसील गुना को रुपये 1,00,000/- (एक लाख) मात्र की आर्थिक सहायता स्वीकृति दी जाती है।

Dinesh
अनुविभागीय अधिकारी,
परगना - गुना

पृ.प्रकरण क्रमांक 265 बी 121 (3)/2015-2016

गुना, दिनांक 27-9-16

प्रतिलिपि :-

- 1- कलेक्टर महोदय, जिला गुना की ओर तहसीलदार, गुना को आवंटन प्रदान करने का कष्ट करें।
- 2- जिला कोषालय अधिकारी, जिला गुना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- तहसीलदार, गुना (नायब नाजिर) की ओर भेजकर लेख किया जाता है, कि स्वीकृत राशि का आवंटन प्राप्त होने पर पीडित परिवार के वारिसान को तत्काल राहत राशि का भुगतान कराया जाकर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 4- तहसीलदार, म्याना की ओर उनके मूल प्रकरण 626 बी 121 (3)/2015-2016 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- संबंधित वारिसान मा. राजकुमारी बेवा स्व. अशोक कुशवाह निवासी ग्राम पिपरोदाखुर्द की ओर सूचनार्थ।

Dinesh
अनुविभागीय अधिकारी,
परगना - गुना

कार्यालय तहसीलदार तहसील गुना नगर जिला गुना (म.प्र.)

क्रमांक/क्यू/रीडर/2020-21 | 719

गुना, दिनांक-21/08/2020

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय, (स्वर्णिज शाखा)
जिला गुना (म0प्र0)

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच के प्रकरण क्र0 104/2017 द्वारा
दिनांक 17/07/2020 को पारित आदेश के अनुपालन में।

संदर्भ :- श्रीमान का कार्या0 पत्र क्र0/3-6/खनिज/2020/175 गुना, दिनांक 20/08/20
एवं म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल का पत्र क्र0 575 भोपाल, दिनांक
23/07/2020

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के पालन में निवेदन है कि श्रीमान द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच के प्रकरण क्र0 104/2017 में जानकारी चाही गई थी, उक्त संबंध में पटवारी ग्राम पिपरौदाखुर्द से जांच करायी गयी, जिसमें लेख किया है ग्राम पंचायत पिपरौदाखुर्द के निवासी राजेन्द्र पुत्र मोकमसिंह कोरी का ग्राम पंचायत पिपरौदाखुर्द के बी0पी0एल0 राशन कार्ड पंजी में खाता क्र0 67 व सर्वे नं0 80 में दर्ज है।

अतः श्रीमान द्वारा चाही गयी जानकारी पत्र के संलग्न मय पटवारी ग्राम की रिपोर्ट एवं आवेदन के सादर प्रेषित है।

संलग्न - पटवारी रिपोर्ट एवं आवेदन

(निर्मल सिंह राठौर)

तहसीलदार
तहसील गुना नगर जिला गुना (म.प्र.)

कामसिय ग्राम पंचायत पिपरीहा खुर्द जनपद पंचा. गुना (म.प्र.)

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील गुना (म.प्र.)

विषय :- ग्राम पिपरीहा खुर्द के निवासी राजेंद्र कोरी के
वी. पी. एल. राशन कार्ड के सम्बन्ध में
महो.

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचा.
पिपरीहा खुर्द के निवासी राजेंद्र 51. मोकम सिंह कोरी
का ग्राम पंचायत पिपरीहा खुर्द के BPL राशन कार्ड
पंजी. में खाता क्र. 67 व सी.न. 80
में दर्ज है।

श्रीमान तहसीलदार महो. की धीरे सूचना
आदि प्रेषित है।

समाप्ति :-

① राशनकार्ड की छाया प्रति


मुद्रा

सचिव

ग्राम पंचायत पिपरीहा खुर्द
जनपद पंचायत गुना

प्रमाण
21/8/20

नगराय क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र
(खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग)

59104

परिवार पत्र

(म.प्र. फूडस्टफ्स डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल आर्डर, 1960 के अन्तर्गत जारी किया गया)

वार्ड क्रमांक

13

खेत क्रमांक

067

- परिवार के मुखिया का पूरा नाम राजकुमार चौधरी
- पिता/पति का नाम मोहनसिंह चौधरी
- वार्ड क्रमांक 13 मोहल्ला पटार घर क्रमांक 399
- वर्तमान पता पिपरीदा खुर्द ग्राम पिपरीदा खुर्द
- विकासखण्ड गुना तहसील गुना जिला गुना
- गरीबी-रेखा सर्वे सूची 2006 (बीपीएल सर्वेक्षण 2002-03) में क्रमांक 80
- वार्ड क्रमांक 13
- व्यवसाय मजदूरी मासिक आय
- कार्यस्थल का पता गुना पिपरीदा खुर्द
- गैस कनेक्शनधारी का नाम X उप.क्र. X
- कम्पनी X एजेंसी X
- परिवार के सदस्यों की कुल संख्या 09 पुरुष 03 महिला 02
- शा.उ.मू. दुकान क्रमांक
- दुकान का नाम व पता सवि लहा उपा. गेण्डाद मेन्डी गुना
- हस्ताक्षर मुखिया
- हस्ताक्षर दुकानदार

राशनकार्ड तैयार करने वाले का नाम एवं हस्ताक्षर

जारी करने वाले अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर व सील

साचेत

ग्राम पंचायत पिपरीदा खुर्द
जनपद पंचायत गुना

परिवार में सम्मिलित सदस्यों का विवरण



क्र.	नाम	उम्र	मुखिया स सदस्य का रिश्ता
1.	श. जे. न.	30	पति
2.	स. जे. न.	28	पति
3.	सुनील	08	पुत्र
4.	मीन	06	पुत्र
5.	वि. वि.	03	पुत्र
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

कुल . 04 (पुरुष) . 03 (महिला) . 02

घोषणा-पत्र

मैं, श. जे. न. पिता/पति श. जे. न. घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दर्शाये गये व्यक्ति मेरे साथ ही सम्मिलित परिवार में रहते हैं और इनमें से किसी भी व्यक्ति का नाम किसी भी परिवार-पत्र (रेशन-कार्ड) में कहीं भी दर्ज नहीं है। मैं इसके लिये पूर्णरूपेण जिम्मेदार हूँ।

530866066518

ADHAR

हस्ताक्षर मुखिया

प्रति,

कलेक्टर महोदय
(खनिज शाखा)
जिला-गुना (म.प्र.)

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच के प्रकरण क्र. 104/2017 द्वारा दिनांक 17.07.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में।
संदर्भ :- म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल का पत्र क्र. 578 भोपाल, दिनांक 23.07.2020

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के अनुपालन में मेरे द्वारा दिनांक 20.08.2020 को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर में पदस्थ कनिष्ठ वैज्ञानिक के साथ संयुक्त रूप से ग्राम पिपरौदाखुर्द, तहसील गुना, खसरा क्र. 2/1/मि, रकबा 2.000 हे. क्षेत्र पर अवधि 30.07.2007 से 29.07.2017 तक श्री यशवंत अग्रवाल के पक्ष में स्वीकृत रहे पत्थर क्रेशर उत्खनिपट्टे की मौका जाँच की गई। मौका जाँच में खनन संक्रियार्यें एवं क्रेशर मशीन बंद तथा जर्जर हालत में पाई गई। उत्खनित गड्डे के चारों ओर तारफेसिंग एवं चेतावनी बोर्ड नहीं पाया गया, इसके अतिरिक्त उत्खनित गड्डे में कहीं कहीं पानी भरा होना पाया गया। मौके वस्तुस्थिति से यह दृष्टिगत होना पाया गया कि उक्त उत्खनिपट्टा निरस्ती दिनांक से संचालित नहीं है।

उक्त प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही सादर प्रस्तुत है।

संलग्न :- मौका पंचनामा एवं फील्ड फोटोग्राफ।

Pwade
20/08/2020

खनि निरीक्षक

जिला-गुना (म.प्र.)

मौकापंचनामा

हम पंचगण आज दिनांक 20/08/2020 को मौका स्थल ग्राम पिपरोदा खुर्द, तहसील गुना, ख. क्र. 2/1/वि. रकबा - 2.000 हे, अवधि 30/07/2007 से 29/07/2017 तक श्री यशवंत अग्रवाल के पक्ष में स्वीकृत रहे पत्थर क्रेशर (मिटी) उत्खनिपट्टा की मौका जांच हेतु खनि निरीक्षक, गुना एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर से उपस्थित हुये। मौका निरीक्षण के दौरान पाया गया कि क्रेशर मशीन जर्जर हालत में पायी गयी तथा उत्खनि गड्ढे के चारों ओर तार फेंसिंग नहीं पायी गई। वर्षा ऋतु होने के कारण आंशिक रूप में कही-कही गड्ढों में पानी भरा पाया गया। मौके की वस्तुस्थिति से दृष्टिगत है कि उक्त उत्खनिपट्टा निरखी दिनांक से आज दिनांक तक संचालन में नहीं है।

मौके पर पंचनामा बनाया गया, पटा, गुना, समझा, सही तरीक की हस्ताक्षर किये।

दि. 2
SK 142

AB
S.K-125-

20/08/2020
JK Bijoriya-Jr. Sec.
M.P. & C.B. Guna.

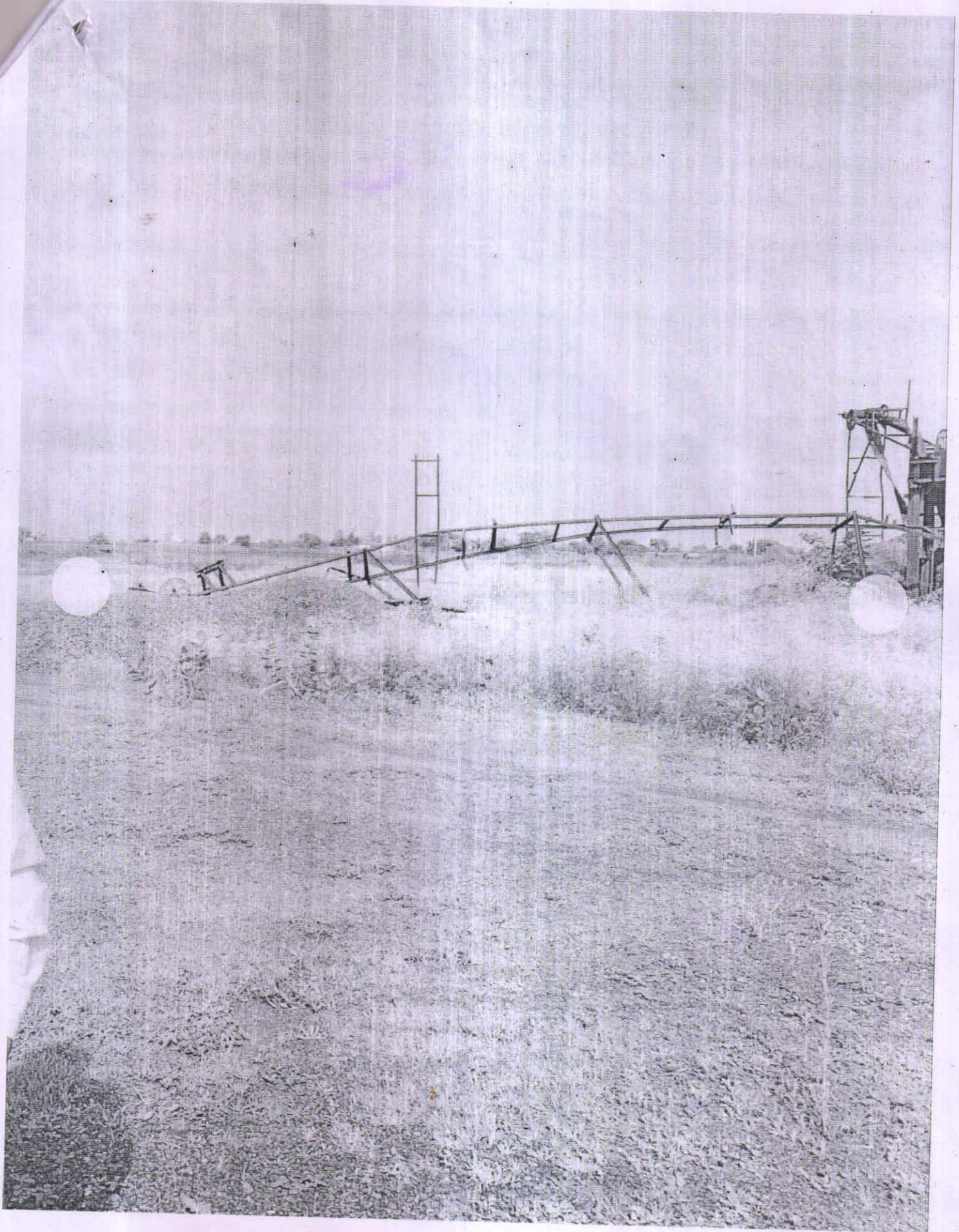
pwade
20/08/2020
M. I. Guna
खनि. निरीक्षक
जिला-गुना (म.प्र.)

खनि निरीक्षक
जिला-गुना (म.प्र.)









कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना (म.प्र.)

क्रमांक/3-6/खनिज/2020/324

गुना, दिनांक 8/10/2020

प्रति,

मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण
सेन्ट्रल जोन, नई दिल्ली

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच के प्रकरण क्र. 104/2017 द्वारा दिनांक 17.07.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के अनुपालन में प्रेषित जानकारी निम्नानुसार है:-

1. आवेदक के संबंध में तहसीलदार गुना द्वारा दिये गये प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि वह बी.पी.एल. श्रेणी का है। (तहसीलदार का प्रतिवेदन एवं अन्य दस्तावेज संलग्न)
2. मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त प्रकरण के संबंध में स्थानीय प्रशासन द्वारा आर्थिक सहायता राशि संबंधितों के वारिसों को कुल सात लाख रु. मुआवजा दिया गया है। (तहसीलदार गुना का प्रतिवेदन संलग्न)
3. प्रकरण की अद्यतन स्थिति के संबंध में दिनांक 20.09.2020 को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर जिला गुना के कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं खनि निरीक्षक (खनिज शाखा) जिला गुना द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम पिपरोदाखुर्द तहसील व जिला गुना के सर्वे नं. 2/1/मिन रकबा 2.000 हे. क्षेत्र में स्थित पत्थर खदान का स्थल निरीक्षण किया गया है। यह पत्थर खदान श्री यशवंत अग्रवाल गुना को कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा द्वारा अवधि दिनांक 30.07.2007 से 29.07.2017 तक आवंटित की गई थी। मौका पंचनामा की प्रति संलग्न है।

क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर-गुना एवं खनि अधिकारी खनिज शाखा-गुना के संयुक्त प्रतिवेदन से सहमत होकर उक्त प्रकरण की बिन्दुवार जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(कुमार पुरुषोत्तम)

कलेक्टर
जिला-गुना (म.प्र.)
जिला गुना (म.प्र.)

क्रमांक/3-6/खनिज/2020/325

प्रतिलिपि :-

गुना, दिनांक 8/10/2020

1. प्रमुख सचिव खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29-ए खनिज भवन अरेरा हिल्स भोपाल।
3. आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर।

4. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गुना को सूचना के लिए।

(कुमार पुरुषोत्तम)

कलेक्टर
जिला-गुना (म.प्र.)
जिला गुना (म.प्र.)



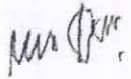
मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक 104/2017 सेंट्रल जोन (एम.
ए. क्र. 464/2017) श्री राजेन्द्र कोरी Vs श्री यशवर्धन अग्रवाल

प्रति,

मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण
सेंट्रल जोन, नई दिल्ली

1. मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्र. 104/2017 द्वारा दिनांक 17.07.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में आवेदक के वी.पी.एल श्रेणी संबंधी जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) गुना के पत्र क्र. 178 दिनांक 21.08.2020 द्वारा प्राप्त हुई है. संलग्नक-1
2. मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त प्रकरण के संबंध में स्थानीय प्रशासन द्वारा आर्थिक सहायता राशि संबंधितों के वारिसों को कुल सात लाख रु मुआवजा दिया गया है। संलग्नक-2
3. प्रकरण की अद्यतन स्थिति के संबंध में दिनांक 20.08.2020 को म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर जिला गुना के कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं खनि निरीक्षक (खनिज शाखा) जिला गुना द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम पिपरादाखुर्द तहसील व जिला गुना के सर्वे क्र 2/1/मिन रकबा 2.000 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित पत्थर खदान का स्थल निरीक्षण किया गया है। यह पत्थर खदान श्री यशवंत अग्रवाल गुना को कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा द्वारा अवधि दिनांक 30.07.2007 से 29.07.2017 तक आवंटित की गई थी। मौका पंचनामा की प्रति संलग्न-3 अनुसार है।


क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
विजयपुर-गुना


खनि अधिकारी
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)
गुना

कलेक्टर
जिला गुना